

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/प्रधाना/स्था/2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्री जुगत सिंह, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सांकडा, जैसलमेर का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नाचना, जैसलमेर किया गया था जिसके विरुद्ध श्री जुगत सिंह द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 14844/2019 जुगत सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 14844/2019 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.10.2019 द्वारा याचिकार्थी श्री जुगत सिंह को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व निर्णीत प्रकरण याचिका संख्या 1430/1999 पुष्पा मेहता बनाम राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.12.99 के परिप्रेक्ष्य में 30 दिवस के भीतर एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए निस्तारित करने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय न्यायालय निर्णय के क्रम में याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में स्वयं की सेवानिवृत्ति दिनांक 31.12.2020 को होने एवं माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 03.10.2019 को मद्देनजर रखते हुए स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सांकडा जिला जैसलमेर में ही पदस्थापित रखे जाने की मांग की गई।

याचिकार्थी के अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व निर्णीत प्रकरण याचिका संख्या 1430/1999 पुष्पा मेहता बनाम राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.12.99 एवं राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा-निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर की डिवीजन बेंच द्वारा पुष्पा मेहता बनाम राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 16.12.99 में अवधारित किया गया है कि

"That unless there are compelling reasons, ordinarily, an employee should not be disturbed from the place of posting, when he, she is on the verge of retirement. An employee should be given sufficient time, which may be of two years or so to plan peacefully his/her post retirement life. This can be the legitimate expectation of an employee who has served the Department for major part of his/her life. In exceptional case, if the transfer in such case is felt necessary in the public interest, it must be kept in mind while giving the fresh posting that minimum inconvenience is caused to the concerned employee. Any transfer contrary to aforesaid principal will lead to interference that the order is mala fide." याचिकार्थी का स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर योगकाल एवं यात्रा भत्ता अनुज्ञेय करते हुए उनके गृह जिले में ही किया गया था, किसी अन्य जिले में नहीं। याचिकार्थी श्री जुगत सिंह की सेवानिवृत्ति में अभी एक वर्ष एवं दो माह का समय शेष है जो कि उनके द्वारा पेंशन सम्बन्धी परिलाभों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय है। इतना समय शेष होने एवं गृह जिले में ही पदस्थापित रहते हुए प्रशासनिक आधार पर किये गये स्थानान्तरण आदेश की पालना नहीं कर एक ही स्थान पर बने रहने सम्बन्धी याचिकार्थी की मांग तर्कसंगत नहीं है। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरांगना से प्राप्त स्थानान्तरण आवेदनों में रिक्त पद पर प्राथमिकता से स्थानान्तरण किये जाने के निर्देश प्राप्त हैं। याचिकार्थी का प्रकरण उक्त प्रकरणों से भिन्न है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिल्पी बोस बनाम बिहार सरकार व अन्य प्रकरण में पारित निर्णयानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र किये गए स्थानान्तरण आदेशों से किसी भी लोकसेवक के संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं होता। याचिकार्थी राज्य शिक्षा सेवा के राजपत्रित

अधिकारी हैं और उन्हें प्रशासकीय आवश्यकता, विभागीय प्राथमिकता, छात्र एवं राज्य हित में राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिल्पी बोस बनाम बिहार सरकार प्रकरण में अवधारित किया गया है कि " *A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred/posted from one place to the other. Transfer Orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights. Even if a transfer Order is passed in violation of executive instructions or Orders, the Courts ordinarily should not interfere with the Order instead affected party should approach the higher authorities in the Department. If the Courts continue to interfere with day-to-day transfer Orders issued by the Government and its subordinate authorities, there will be complete chaos in the Administration which would not be conducive to public interest*"

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए याचिकार्थी श्री जुगत सिंह द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण उनका अभ्यावेदन एतद्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 03.10.2019 में विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.09.2019 को याचिकार्थी के अभ्यावेदन निस्तारण तक स्थगित किया था। चूंकि श्री जुगत सिंह का अभ्यावेदन उपर्युक्त आधारों पर खारिज किया जाता है, अतः श्री सिंह को निर्देशित किया जाता है कि वे विभागीय आदेश दिनांक 29.09.2019 की अनुपालना में तत्काल अपने स्थानान्तरित स्थान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नाचना, जैसलमेर में प्रधानाचार्य के पद पर दिनांक 20.10.2019 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करें अन्यथा उनके विरुद्ध राजस्थान असेनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-17 के अन्तर्गत कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा./संस्था/बी-2/एसबीसिया/जुगत सिंह/14844/2019 दिनांक 18.10.2019
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जोधपुर मंडल, जोधपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जैसलमेर को निर्देशित किया जाता है कि वे श्री जुगत सिंह के निर्धारित तिथि तक स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में उनके विरुद्ध सीसीए-17 नियमान्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, जैसलमेर।
6. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जैसलमेर को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश की पालना तत्काल सुनिश्चित करावें।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जोधपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. श्री जुगत सिंह, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नाचना, जैसलमेर।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)